

**कार्यालय: महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश।**

संख्या-प्रशि.प्रको./2016/

लखनऊ : दिनांक 21/12/2016

**—:: आदेश ::—****नवीन**

चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में प्रादेशिक चिकित्सा, स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के विशेषज्ञ चिकित्साधिकारियों के सेवा निवृत्ति के उपरान्त 65 वर्ष की आयु तक पुनर्योजन प्रदान किये जाने सम्बन्धी चिकित्सा अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-157/सेक-2-पॉच-14-7(255)/13, दिनांक 13.01.2014 सपटित शासनादेश संख्या-1961/सेक-2-पॉच-14-7(255)/13, दिनांक 18.06.2014 एवं संख्या-965/सेक-2-पॉच-16-7(255)/2013, दिनांक 10.03.2016 में अंकित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन **निम्नलिखित चिकित्सकों** को परामर्शी (कन्सल्टैन्ट) के रूप में **उनके नाम के सम्मुख अंकित चिकित्सालय** में नियमित चिकित्साधिकारियों से पद भरे जाने अथवा एक वर्ष की अवधि अथवा 65 वर्ष की आयु पूर्ण करने की तिथि, जो भी पहले हो, तक के लिए एतद्वारा तात्कालिक प्रभाव से निम्न प्रतिबन्धों/शर्तों के अधीन पुनर्योजित किया जाता है।

- 1- पुनर्योजन केवल विशेषज्ञ चिकित्सकों का ही किया जायेगा। विशेषज्ञ चिकित्सकों को कोई प्रशासकीय पद नहीं दिया जायेगा। पुनर्योजन की अवधि में इन्हें संवर्गीय पदनाम नहीं दिया जायेगा। पुनर्योजन की अवधि में विशेषज्ञ के रूप में कन्सल्टैन्ट अथवा परामर्शी कहा जायेगा।
  - (2) पुनर्योजन की अवधि पेंशन के लिए नहीं गिनी जायेगी और पद का कार्यभार ग्रहण करने अथवा उसकी समाप्ति पर कोई यात्रा भत्ता नहीं देय होगा।
  - (3) पुनर्योजन पर तैनात किये जाने वाले विशेषज्ञ चिकित्सकों को पुनर्योजन की अवधि में वह नियत वेतन अनुमन्य होगा जो उसकी शुद्ध पेंशन की धनराशि को सम्मिलित करते हुए उनके द्वारा अन्तिम आहरित वेतन या पुनर्योजित पद के वेतनमान के अधिकतम, जो भी कम हो, पुनर्योजन की अवधि में विशेष वेतन उसी दर पर देय होगा जो पुनर्योजन से पूर्व अनुमन्य था।
  - (4) पुनर्योजित विशेषज्ञ चिकित्सकों को अस्थायी कर्मचारी की भौति वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2, भाग-2 से 4 के सहायक नियम-157ए तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर पारित आदेशों के अनुसार अवकाश देय होगा।
  - (5) पुनर्योजन की अवधि में विशेषज्ञ चिकित्सकों को यात्रा तथा दैनिक भत्ते उनके वेतन व शुद्ध पेंशन के योग के अनुसार अनुमन्य दरों पर देय होंगे जैसा कि यात्रा भत्ता नियम-16-ए में प्राविधानित है।
  - (6) पुनर्योजन पर नियुक्त विशेषज्ञ चिकित्सकों को आपातकालीन सेवाओं/आकस्मिक सेवाओं हेतु उपलब्ध रहना होगा।
  - (7) जनपदवार/विशेषज्ञतावार पुनर्योजित विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवायें संतोषजनक न पाये जाने पर अस्थायी सरकारी सेवक की भौति एक माह की अग्रिम नोटिस देकर उनकी सेवायें समाप्त की जा सकेंगी। पुनर्योजन पर तैनात विशेषज्ञ चिकित्सक भी एक माह की अग्रिम नोटिस देकर सेवा मुक्त हो सकता है।
  - (8) पुनर्योजन पर तैनात विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा मरीजों को अस्पताल में सरकारी नियमों के अन्तर्गत उपलब्ध दवाओं को ही संस्तुत करेंगे तथा उनके द्वारा किसी भी रूप में प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं की जाएगी। इसका उल्लंघन करने पर तत्काल प्रभाव से पुनर्योजन समाप्त कर दिया जायेगा।
- 2- सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/सक्षम अधिकारी द्वारा चिकित्सक की तैनाती के पूर्व चिकित्सक से इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त कर लिया जाय कि सेवा काल के दौरान न तो सी0बी0आई0 जॉच/न तो सतर्कता जॉच न ही अनुशासनिक कार्यवाही तथा न ही कोई आपराधिक प्रकरण विचाराधीन है।
  - 3- सम्बन्धित चिकित्सक की तैनाती के पूर्व सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/सक्षम अधिकारी द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि संबंधित चिकित्सक की स्वास्थ्यता के सम्बन्ध में अपेक्षित स्वास्थ्यता प्रमाण पत्र अवश्य उपलब्ध करा दिया जाय।





- 4- यदि किसी चिकित्सक द्वारा पुनर्योजन के आधार पर तैनाती से पूर्व उक्तानुसार अपेक्षित शपथ पत्र और स्वास्थ्यता प्रमाणपत्र उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो उनकी तैनाती/पुनर्योजन न किया जाये, बल्कि ऐसे प्रकरणों को पुनः महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ०प्र० के संज्ञान में लाया जाय।
- 5- पुनर्योजित विशेषज्ञ परामर्शी को सेवानिवृत्त तिथि अथवा आदेश निर्गत तिथि, जो भी बाद में हो, से एक माह के अंदर प्रत्येक दशा में पुनर्योजित पद पर सेवा में योगदान करना होगा, यदि पुनर्योजित परामर्शी उपरोक्तानुसार एक माह में सेवा में योगदान नहीं करते हैं। तो यह माना जायेगा कि सम्बंधित परामर्शी कार्य करने के इच्छूक नहीं है और उनके पुनर्योजन को स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

क्र० सं०	नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	सेवा निवृत्त तिथि	विशेषज्ञता	चिकित्सालय /जनपद का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1.	डा० बिनयी राम-5773क	स्व० भोला राम	20.11.1956	30.11.2016	डी०ओ०एम०एस०	जिला चिकित्सालय आजमगढ़
2.	डा० अशोक कुमार पाण्डेय-	स्व० वासुदेव पाण्डेय	01.01.1957	31.12.2016	डी० आर्थ०	जिला चिकित्सालय फैजाबाद
3.	डा० पुरुषोत्तम कुमार मिश्र-9541	स्व० दुर्गा प्रसाद मिश्र	10.10.1956	31.10.2016	एम०एस० जनरल सर्जरी	संयुक्त जिला चिकित्सालय कानपुर देहात
4.	डा० रमेश चन्द्र द्विवेदी-5828	स्व० आर०के० द्विवेदी	01.10.1956	30.09.2016	एम०डी० मेडिसिन	संयुक्त जिला चिकित्सालय कानपुर देहात
5.	डा० निरंकार सिंह-6561	स्व० केशव प्रसाद सिंह	02.10.1956	31.10.2016	डी० आर्थ०	जिला चिकित्सालय आजमगढ़
6.	डा० पूर्णमासी कनौजिया-	श्री बच्चू	10.10.1956	31.10.2016	डी० आर्थ०	जिला संयुक्त चिकित्सालय सिद्धार्थनगर
7.	डा० पुष्पेन्द्र कुमार पाठक-4690	डा० राम अवतार पाठक	26.12.1956	31.12.2016	डी०एम०आर०डी०	जिला महिला चिकित्सालय मेरठ
8.	डा० अजय कुमार वैद्या-6735	श्री टी०डी० वैद्या	22.07.1956	31.07.1956	डी०ओ०एम०एस०	जिला चिकित्सालय रायबरेली
9.	डा० सियाराम सिंह-6060	स्व० रामराज सिंह	20.10.1956	31.10.2016	डी०एल०ओ०	जिला चिकित्सालय सुल्तानपुर
10.	डा० रामनवल-9174	स्व० सन्तू प्रसाद	01.02.1957	31.01.2017	डी०सी०एच०	जिला संयुक्त चिकित्सालय महाराजगंज (सेवानिवृत्त तिथि 31.01.2017 के उपरान्त योगदान कराया जाय)
11.	डा० मनीराम-7506	स्व० जयराम	20.11.1956	30.11.2016	डी०सी०एच०	जिला पुरुष चिकित्सालय हमीरपुर
12.	डा० राधेरमण-8738	स्व० रामलाल साहू	04.11.1956	30.11.2016	डी०सी०एच०	जिला पुरुष चिकित्सालय हमीरपुर
13.	डा० तेजपाल सिंह-6937	श्री फग्गन सिंह	21.10.1956	31.10.2016	डी०सी०एच०	जिला पुरुष चिकित्सालय रामपुर

*Batu*

